भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 735

उत्तर देने की तारीख : 24.07.2025

लद्दाख में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र

735. श्री मोहम्मद हनीफा:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के अंतर्गत चर रही योजनाओं और नए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में कितने उद्यमियों को लाभ हुआ है;

(ग) क्या संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में एमएसएमई क्षेत्र की विशिष्ट प्रकृति और आवश्यकताओं के मद्देनजर और स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को सहायता प्रदान करने हेतु सरकार के पास कोई विशेष योजना अथवा कार्यक्रम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने वर्तमान योजनाओं की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए कोई प्रभाव आकलन/अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : केन्द्र सरकार लद्दाख सहित देशभर में एमएसएमई के विकास और उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने तथा एमएसएमई के प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा नवोन्मेष को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के जरिए राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को अनुपूरित करती है। ये स्कीमें देश के सभी राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों में कार्यशील हैं। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की स्कीमें, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम, एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में वृद्धि और गतिवर्धन, एमएसएमई चैम्पियंस स्कीम आदि शामिल हैं। दिनांक 15.07.2025 तक अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित उद्यम पोर्टल पर 6,58,33,368 एमएसएमई पंजीकृत हुए हैं जिनमें 28,51,41,204 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। इनमें से लद्दाख में 18,594 एमएसएमई पंजीकृत हुए हैं जिनमें 54,284 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

एमएसएमई मंत्रालय की कुछ प्रमुख स्कीमें नीचे दी गई हैं:-

(i) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक प्रमुख क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसे गैर-कृषि क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र सहित देशभर में रोजगार सृजन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल एजेंसी के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के साथ वर्ष 2008-09 से बैंकों के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। केवीआईसी द्वारा खादी ग्रामोद्योग विकास योजना (केजीवीवाई) का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है। केजीवीवाई के प्रमुख घटकों में खादी विकास योजना (खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू से अंत तक की सहायता की पेशकश करने वाली योजना), ग्रामोद्योग विकास योजना (कारीगर आधारित एक कार्यक्रम - ग्रामीण कारीगरों के पारम्परिक और पीढ़ीगत कौशल के पुनरुद्धार के लिए) शामिल हैं।

- केजीवीवाई और पीएमईजीपी स्कीमों के अंतर्गत लद्दाख संघ-राज्य क्षेत्र में लाभान्वित उद्यमियों की संख्या 9532 है।
- लद्दाख संघ-राज्य क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी के उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के अंतर्गत 260 लाभार्थी लाभान्वित हुए थे।

(ii) उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) केन्द्रीय क्षेत्र की एक सतत स्कीम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अ.जा./अ.ज.जा., महिलाओं, दिव्यांगों, भूतपूर्व सैनिक तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों सहित समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं (पुरुषों और महिलाओं) को प्रोत्साहित करना है ताकि वे स्व-रोजगार अथवा उद्यमिता को कॅरियर विकल्पों में से एक विकल्प के रूप में अपना सकें। इसका मूलभूत लक्ष्य नए उद्यमों को बढ़ावा देना, मौजूदा एमएसएमई का क्षमता निर्माण करना तथा देश में उद्यमिता संस्कृति को आत्मसात कराना है।

लद्दाख में पिछले 3 वर्षों में ईएसडीपी स्कीम में हुई प्रगति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वित्त वर्ष	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
2.	2022-23	1	50
3.	2023-24	2	94
4.	2024-25	28	1573
कुल		31	1717

(iii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने संयुक्त रूप से वर्ष 2000 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की संस्थापना की थी ताकि सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को दिए जाने वाले ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटियां किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी अथवा तृतीय पक्षकार गारंटी के बिना प्रदान की जा सके।

सीजीटीएमएसई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लद्दाख संघ-राज्य क्षेत्र में वर्ष 2000 में हुई शुरुआत से लेकर दिनांक 30.06.2025 तक 2,348 क्रेडिट गारंटियों को अनुमोदन प्रदान किया गया था जिनमें 300.73 करोड़ रुपए की राशि शामिल थी।

(iv) एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमगिरि) ने सास्पोचे गांव, लेह-लद्दाख में केवीआईसी की एसएंडटी स्कीम के अंतर्गत एक सोलर पॉवर वाले वूल प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना की गई है जिससे 20 से अधिक कताई करने वाली महिला कारीगरों को लाभ प्राप्त हुआ है।

(v) एमएसएमई मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम में लद्दाख संघ-राज्य क्षेत्र में एमएसई सहित सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को बाजार तक पहुंच संबंधी पहलों के लिए लाभ प्रदान किया जाता है।

लद्दाख में अब तक पीएमएस स्कीम के लाभार्थी निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	वित्त वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
1.	2022-23	शून्य
2.	2023-24	2
3.	2024-25	80
4.	वर्ष 2025-26 में आज की तारीख तक	शून्य

(vi) लद्दाख संघ-राज्य क्षेत्र सहित देशभर में अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 पारम्परिक व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक की सम्पूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2025 पीएम विश्वकर्मा (पीएमवी) स्कीम की शुरुआत की गई थी। दिनांक 18.07.2025 तक लद्दाख संघ-राज्य क्षेत्र में सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के जरिए 6,462 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 4,184 आवेदनों को सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है तथा उन्होंने इस स्कीम का लाभ प्राप्त करना शुरू कर दिया है।

(ग) : लेह में हथकरघा विभाग के परिसर में प्रौद्योगिकी के जरिए ग्रामीण उद्यम गतिवर्धन केन्द्र (क्रिएट) की स्थापना की गई है ताकि स्थानीय पारम्परिक कारीगरों और उद्यमियों के लिए स्थानीय उत्पादकता, उत्पाद गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता और आजीविका को बेहतर बनाया जा सके। क्रिएट एक प्रसंस्करण इकाई है जिसकी स्थापना डीहेयर्ड पश्मीना को पश्मीना रोविंग में परिवर्तित करने हेतु की गई है।

(घ) : विशेषकर लद्दाख संघ-राज्य क्षेत्र के लिए कोई प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन नहीं कराया गया है।

****